उत्तराखण्ड शासन

आवास अनुभाग–2

संख्याः 1817/V–2/2017–05(आ0)/2017

देहरादूनः दिनांक 13 नवम्बर, 2017

अधिसूचना

चूंकि पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या 540/11–5–86–23(1) डी0ए0/85 दिनांक 02.05.1986 द्वारा हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण के क्षेत्र का गठन किया गया था,

और चूंकि उक्त अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए उत्तराखण्ड शासन द्वारा उसकी अधिसूचना संख्याः 959/V–2/2014–90 (आ0)/2011 दिनांक 27.08.2014 एवं अधिसूचना 1328/V–2/2017–90 (आ0)/2011 दिनांक 14 सितम्बर, 2017 से उक्त हरिद्वार रूड़की विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में विस्तार करने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी,

और चूंकि उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 794/V–2–आ–2016–60 (आ0)/2015 दिनांक 26 मई, 2016 द्वारा अधिसूचना निर्गत होने की तारीख से जिला हरिद्वार के मैदानी क्षेत्रों का ऐसा भू–भाग जिसमें कोई विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/नियंत्रण प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित नहीं था, को धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया था,

और चूंकि सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा किया जाना जनहित में उचित है, अतः उक्त अधिसूचना दिनांक 26 मई, 2016 से जिला हरिद्वार के परिप्रेक्ष्य में उक्तवत मैदानी क्षेत्रों के भू–भाग को हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण में सम्मिलित कर लिया जाय,

अतः राज्यपाल, अब, उत्ताराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा 3 सपठित साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना दिनांक 26 मई 2016 को आंशिक रूप से अधिक्रमित करते हुए जिला हरिद्वार के उक्त भू–भाग को हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या 1817/V–2/2017–05 (आ)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : सयुंक्त निदेशक, राजकीय मुद्राणालय, रूडकी, हरिद्वार को इस आशय के साथ प्रेषित कि उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट की 100 प्रतियॉ मुद्रित कराते हुए प्रतियॉ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
सयुंक्त सचिव।

संख्या 1817/V–2/2017–05 (आ0)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
2– सचिव, नियोजन, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– मण्डलायुक्त, गढवाल एवं कुमायूँ।
4– मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण,देहरादून।
5– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– जिलाधिकारी, हरिद्वार।
7– अपर जिलाधिकारी, हरिद्वार।
8– उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून/नैनीताल/गंगोत्री।
9– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
10– सचिव, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
11– गार्ड पत्रावली/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह राणा)
अनु सचिव।